- 7 AUG 2020

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं–

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूँ कि–

संशोधन.– कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पदोन्नति हेतु जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4.7.2016 की प्रस्तावना में–

विद्यमान अभिव्यक्ति "भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80–एल–1 दिनांक 12–02–81" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भारत सरकार की अधिसूचना संख्या प.सं. 1(31)/2017–वि.1 दिनांक 19.5.18" प्रतिस्थापित की जायेगी।

ये निर्देश दिनांक 19.5.18 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।"

ह०
(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान,

क एफ.13(20)डीओपी/ए– II/91 पार्ट

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

48/2020

4

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 4.7.2016

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 12) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं एवं आदेशों व निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80–एल–1 दिनांक 12–02–81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

ह0/–
(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान
(क्र. एफ. 13(20)कार्मिक/क–2/91/पार्ट)

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

28/2016